स्वतन्त्रता सेनानियों/विधवाओं को दी जाने वाली पैंशन की योजना

यह योजना स्वतन्त्रता सेनानियों, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लेने के फलस्वरूप कारावास का दंड या अन्य यातनाये सही हों, को सम्मानित करने के उद्देश्य से बनाई गई है और इसके अन्तर्गत स्वतन्त्रता सेनानियों/विधवाओं को स्वतन्त्रता सम्मान पेंशन तथा अन्य सुविधाएं दी जा रही है।

परिभाषा

स्वतन्त्रता सैनानी का तात्पर्य हरियाणा राज्य के ऐसे अधिवासी व्यक्ति से है जिसने भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया हो तथा जिस के द्वारा इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम 2 मास की अवधि के लिए कारावास का दंड भोगा गया हो।

हरियाणा सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य के वे स्वतन्त्रता सेनानी, जो केन्द्रीय सरकार से पेंशन प्राप्त कर रहे है, परन्तु जिन्हें राज्य सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती है, को भी यही सम्मान पेंशन 1-1-1981 से प्रदान कर दी जाये।

2. सम्मान पेंशन

हरियाणा सरकार ने राज्य के स्वतन्त्रता सेनानियों/विधवाओं/आई०एन०ए० के सदस्यों को निम्न प्रकार से सम्मान पेंशन प्रदान की हुई है :—

1. 1.1.1981 से 31.3.1983 तक 50/- रुपये प्रति मास की दर से
2. 1.4.1983 से 14.8.1985 तक 100/- रुपये --तदैव--
3. 15.8.1985 से 8.8.1987 तक 200/- रुपये --तदैव--
4. 9.8.1987 से 19.10.1989 तक 250/- रुपये --तदैव--
5. 20.10.1989 से 1.10.1993 तक 300/- रुपये --तदैव--
6. 2.10.1993 से 31.3.1996 तक 500 रुपये/- --तदैव--
7. 1.4.1996 से 31.3.1997 तक 750/- रुपये --तदैव--
8. 1.4.1997 से 30.6.1998 तक 1000/- रुपये --तदैव--
9. 1.7.1998 से 31.3.2005 तक 1400/- रुपये + 125/- रुपये नियत चिकित्सा भत्ता प्रति मास।
10. 1.4.2005 से 14.8.2006 तक 3500/- रुपये + नियत चिकित्सा भत्ता प्रति मास
11. 15.8.2006 से अब तक 5125/- रुपये प्रति मास (जमा 1625/- महंगाई राहत तथा 250/- रुपये नियत चिकित्सा भत्ता।)

3. स्वतन्त्रता सेनानी की मृत्यु होने पर अन्तिम संस्कार बारे

हरियाणा सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में जब भी किसी स्वतन्त्रता सैनानी की मृत्यु हो जाती है, तो सम्बन्धित जिले के उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक)/सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा उसके दाह संस्कार के समय राज्य सरकार की ओर से सम्मान के तौर पर "रीथ" अर्पित की जायेगी। सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा 1500/- रुपये का अनुदान दाह संस्कार हेतु स्वतन्त्रता सेनानी के निकट सम्बन्धियों को उसी समय प्रदान किया जायेगा।

4. स्वतन्त्रता सेनानियों की लड़कियों तथा आश्रित बहनों की शादी के लिए अनुदान प्रदान करना

हरियाणा सरकार ने 1984 में यह निर्णय लिया था कि राज्य के स्वतन्त्रता सेनानियों/आई०एन०ए० के सदस्यों/विधवाओं को उनकी लड़की तथा आश्रित बहन की शादी हेतु 2000/- रुपये की राशि प्रत्येक शादी के लिए अनुदान के रूप में प्रदान की जाये।

हरियाणा सरकार ने यह अनुदान की राशि 1.4.1992 से 2000/- रुपये से बढ़ाकर 5000/- रुपये तथा 1.6.1993 से बढ़ाकर 10000/- रुपये और अब यह अनुदान की राशि 24.2.2006 से 10000/- से बढ़ाकर 21000/- रुपये कर दी गई है।

5. स्वतन्त्रता सेनानियों के बच्चों के लिए विभिन्न कोर्सों में प्रवेश के लिए आरक्षण

राज्य के स्वतन्त्रता सेनानियों के बच्चों के लिए प्रोफैशनल कोर्सों, मेडिकल (आयुर्वेदिक सहित) इंजीनियरिंग तथा आई०टी०आई० में एक प्रतिशत सीटें प्रवेश के लिए इस शर्त के साथ आरक्षित कर रखी हैं यदि 3 प्रतिशत सीटें जो अपंगों के लिए आरक्षित हैं उसमें योग्य अपंग न मिलने के कारण खाली रह जाती हैं उसमें से एक प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके वार्डर्स और 1 प्रतिशत स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रितों को दी जाती हैं। अब सरकार ने आगे विचार करके 3 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों/स्वतन्त्रता सेनानियों तथा उनके आश्रितों को देने का निर्णय लिया है। यह आरक्षण एक प्रतिशत सामान्य वर्ग, एक प्रतिशत अनुसूचित जातियों तथा एक प्रतिशत पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित सीटों में से ही दिया जायेगा।

6. सरकारी सेवा में स्वतन्त्रता सेनानियों के बच्चों के लिए सीधी भर्ती में आरक्षण

हरियाणा सरकार के निर्णय के अनुसार राज्य की सेवा में सीधी भर्ती (श्रेणी I, II, III व IV) के लिए स्वतन्त्रता सेनानियों के लड़कों, लड़कियों, पोते, पोतियों, दोहते व दोहतियों के लिए 2 प्रतिशत का आरक्षण इस शर्त पर किया गया है कि यदि भूतपूर्व सैनिकों या पिछड़े वर्ग की जातियों के लिए जो कोटा निर्धारित किया गया है, वह सम्बन्धित पात्र उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण रिक्त रह जाये।

7. स्वतन्त्रता सेनानी कर्मचारियों को उनकी अधिवर्षता आयु के उपरान्त सेवा में बनाये रखना

हरियाणा सरकार के निर्णय के अनुसार राज्य के उन कर्मचारियों, जिन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम आन्दोलन में भाग लिया है और अब राज्य की सेवा में कार्यरत हैं, को उनकी अधिवर्षता की आयु उपरान्त 60 वर्ष की आयु तक लोकहित में सरकारी सेवा में बनाये रखा जाये।

8. स्वतन्त्रता सेनानी की मृत्यु के पश्चात् सम्मान पेंशन उसकी विधवा के नाम स्थानान्तरण करना

हरियाणा सरकार के निर्णय अनुसार यदि राज्य के किसी स्वतन्त्रता सेनानी की मृत्यु हो जाती है, तो उसको दी जा रही सम्मान पेंशन तथा बकाया आदि, यदि कोई हो, तो उसकी विधवा के नाम स्थानान्तरण, सम्बन्धित उपायुक्त की जांच उपरांत, कर दिया जाता है।

9. स्वतन्त्रता सेनानियों के साथ शिष्टता का व्यवहार तथा सम्मान प्रदान करने बारे

हरियाणा सरकार ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को यह हिदायतें जारी की हुई हैं कि जब भी कोई स्वतन्त्रता सेनानी/आई०एन०ए० का सदस्य सरकारी कार्यालय में किसी कार्यवश आता है तो उसे यथा उचित सम्मान दिया जाये और उन्हें राष्ट्रीय पर्वों एवं महत्वपूर्ण समारोहों में आमन्त्रित किया जाये और उनके बैठने की उचित व्यवस्था की जाये। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों में भी स्वतन्त्रता सेनानियों/आई०एन०ए० के सदस्यों को सम्मिलित किया जाये। इन हिदायतों को पुन: भी दोहरा दिया गया है तथा यह भी हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि राष्ट्रीय पर्वों एवं महत्वपूर्ण समारोहों में स्वतन्त्रता सेनानियों की विधवाओं को भी आमंत्रित किया जाये।

10. **स्वतन्त्रता सेनानियों को हरियाणा भवन नई दिल्ली/एम०एल०ए० होस्टल, चण्डीगढ़ में राज्य के संसद सदस्यों तथा विधायकों की भांति कम से कम रेट पर ठहरने की सुविधा प्रदान करना।**

राज्य के स्वतन्त्रता सेनानियों को एम०पी०/एम०एल०ए० के समान हरियाणा भवन, नई दिल्ली, एम०एल०ए० होस्टल, चण्डीगढ़ तथा राज्य के सर्किट हाउसिस/लोक विश्राम गृहों में सस्ते रेट पर ठहरने की सुविधा प्रदान कर रखी है।

11. **उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित सुविधायें राज्य के सभी स्वतन्त्रता सेनानियों को दी हुई है :—**

1. संबंधित उपायुक्त अपने-अपने जिले के स्वतन्त्रता सेनानियों/आई०एन०ए० के सदस्यों, विधवाओं/उनकी पत्नियों या पतियों अथवा उनके लड़के-लड़कियों को पहचान-पत्र जारी करेंगे।
2. हरियाणा सिविल सचिवालय में स्वतन्त्रता सेनानियों/आई०एन०ए० के सदस्यों/विधवाओं को पहचान-पत्र दिखाने पर प्रवेश करने दिया जायेगा।
3. राज्य के स्वतन्त्रता सेनानियों को उनके प्रयोग हेतु मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा स्वतन्त्रता सेनानी होने का प्रमाण-पत्र जारी किया जावेगा।

स्वास्थ्य विभाग

1. **स्वतन्त्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करना**

राज्य के उन स्वतन्त्रता सेनानियों, जो अपना व अपनी पत्नी का इलाज इन्डोर पेशेन्ट के रूप में हरियाणा राज्य के सभी सरकारी हस्पतालों/पी०जी०आई०, चण्डीगढ़ से करवाते हैं, को इनके खर्चे की सम्पूर्ण प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा कर दी जाती है।

2. **स्वतन्त्रता सेनानियों को मासिक नियत चिकित्सा-भत्ता प्रदान करना**

राज्य के स्वतन्त्रता सेनानियों द्वारा अपने इलाज के लिये खुले बाज़ार से जो दवाइयां खरीदी जाती है, उसकी प्रतिपूर्ति के लिये उन्हें 250/- रुपये नियत चिकित्सा भत्ता प्रति मास की दर से हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाता है।

3. **स्वतन्त्रता सेनानियों को उन द्वारा दांत/जबड़ा लगवाये जाने के खर्चे की प्रतिपूर्ति**

राज्य के स्वतन्त्रता सेनानियों द्वारा दांत/जबड़ा लगवाने के संबंध में आये खर्चे की उस नीति के आधार पर प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया गया है, जिसके अनुसार राज्य के कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति की जाती है।

4. **स्वतन्त्रता सेनानियों को उन द्वारा लगवाये गए श्रवण यन्त्र के खर्चे की प्रतिपूर्ति**

हरियाणा सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि यदि कोई राज्य का स्वतन्त्रता सेनानी जिसे सुनाई नहीं देता हो और वह श्रवण यन्त्र लगवाता है तो उसे उसके जीवन में एक बार 3000/- रुपये की सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। हरियाणा सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य का कोई भी स्वतन्त्रता सेनानी या उसकी पत्नी देश के किसी भी सरकारी हस्पताल में इन्डोर इलाज करवाता है, तो उस पर आये खर्चे की प्रतिपूर्ति उसके रसीद तथा संबंधित काजगात प्रस्तुत करने पर सरकार द्वारा कर दी जाती है।

5. **स्वतन्त्रता सेनानियों को स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करवाने बारे**

ये हिदायतें जारी की गई है कि सभी स्वतन्त्रता सेनानियों का स्वास्थ्य निरीक्षण प्राथमिकता के आधार पर ध्यानपूर्वक व आदर सहित किया जाए। राज्य के सिविल सर्जनों को यह भी हिदायतें जारी की गई हैं कि वे चिकित्सा अधिकारियों को आदेश दें कि वे स्वतन्त्रता सेनानियों के निवास पर जाकर उन्हें अटैंड करें क्योंकि काफी स्वतन्त्रता सेनानी वृद्ध आयु के कारण हस्पतालों में आने में असमर्थ होते हैं।

परिवहन विभाग

स्वतन्त्रता सेनानियों को नि:शुल्क यात्रा करने की सुविधा

हरियाणा सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के स्वतन्त्रता सेनानियों को हरियाणा परिवहन की बसों में हरियाणा राज्य के अन्दर, दिल्ली तथा चण्डीगढ़ में एक सहायक के साथ आम बसों तथा डीलक्स बसों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा होगी। परन्तु संबंधित स्वतन्त्रता सेनानी के पास अपना पहचान-पत्र जिसमें उसकी फोटो लगी हो, का होना आवश्यक है। यह सुविधा राज्य के स्वतन्त्रता सेनानियों की विधवाओं को भी प्रदान की हुई है। उपरोक्त सुविधा सरकारी परिवहन समितियों की बसों में भी स्वतन्त्रता सेनानियों को एक सहयोगी के साथ प्रदान की हुई है।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्लाटों में स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए आरक्षण

हरियाणा सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा जो भी रिहायशी प्लाट निकाले जाते हैं, उनमें से 6 मरला तक के प्लाट स्वतन्त्रता सेनानियों के बच्चों और उनके पोते, पोतियों, दोहते, दोहतियों के लिए आरक्षित किये जायें। यह आरक्षण 2 प्रतिशत होगा।

खाद्य व आपूर्ति विभाग

स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए सस्ते गल्ले की दुकानों का आरक्षण

हरियाणा सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उचित मूल्यों की दुकानों को अलाटमेंट करने में हरियाणा राज्य के स्वतन्त्रता सेनानियों को वरीयता प्रदान की जाये और उन द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के लिए प्रार्थना-पत्र देने पर पूर्ण सहयोग व सहानुभूति प्रदान की जाये।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

1. **नगरपालिकाओं/नगर सुधार मंडलों के प्लाटों में स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए आरक्षण**

हरियाणा सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नगरपालिकाओं/नगर सुधार मंडलों द्वारा जो भी रिहायशी प्लाट निकाले जाते हैं, उनमें से 6 मरला तक के प्लाट स्वतन्त्रता सेनानियों तथा उनके आश्रितों के लिए आरक्षित किये जायें। यह आरक्षण 2 प्रतिशत होगा।

2. **स्मारकों/संग्रहालयों और बुतों के बारे में नीति निर्धारित करने बारे**

सरकार द्वारा यह निर्णय लिया हुआ है कि नगरपालिका सीमा में चौराहे पर किसी की प्रतिमा लगाने की स्वीकृति न दी जाये। किसी चौक का नाम किसी महानविभूति के नाम पर रखने बारे सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। किसी गली/सड़क/पार्क का नाम सम्बन्धित पालिकाओं द्वारा शहीदों/स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम पर रखने हेतु पालिका द्वारा प्रस्ताव पास करके रख लिया जाता है।

3. **स्वतन्त्रता सेनानियों व उनके बच्चों को भूतपूर्व सैनिकों की भांति गृह कर में छूट**

हरियाणा सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के स्वतन्त्रता सेनानियों व उनके बच्चों को भूतपूर्व सैनिकों अथवा मृत सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों की भांति गृह कर से छूट दी जायेगी।

विद्युत विभाग

राज्य बिजली बोर्ड द्वारा यह हिदायतें जारी कर रखी हैं कि स्वतन्त्रता सेनानियों को उनके कृषि प्रयोग हेतु ट्यूबवैल लगाने के लिए कनैक्शन के लिए वरीयता प्रदान की जाए।

प्रेषक

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह एवं प्रोटोकोल विभाग।

सेवा मे

निदेशक लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा

क्रमांक 49/220/78-7 पी०पी० दिनांक 14 दिसम्बर, 1981

विषय : **हरियाणा सरकार की ओर से स्वतन्त्रता सेनानियों/उनकी विधवाओं तथा भूतपूर्व आई०एन०ए० के सदस्यों को पेंशन प्रदान किया जाना।**

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ मे।

2. हरियाणा सरकार द्वारा स्वतन्त्रता सेनानियों/उनकी विधवाओ तथा भूतपूर्व आई०एन०ए० के सदस्यों को पेंशन दिये जाने हेतु लिए गए निर्णय सम्बन्धी विज्ञप्ति का प्रारूप आपको व्यापक प्रचार हेतु भेजा जाता है। कृपया इस सम्बन्ध मे अखबारो मे विज्ञापन देने के अतिरिक्त अपने विभागीय प्रचार माध्यम से भी इस विज्ञप्ति का प्रचार करवाया जाए।

हस्ता/-
अवर सचिव, प्रोटोकाल,
कृते : वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह एवं प्रोटोकोल विभाग।

क्रमांक 49/220/78-7 पी०पी० दिनांक 14 दिसम्बर, 1981

एक-एक विज्ञप्ति की प्रति तथा निर्धारित फार्म की 100-100 प्रतियों सहित राज्य के सभी उपायुक्तों को सूचना/आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

2. कृपया इस सम्बन्ध मे व्यापक प्रसार करवाया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि यह फार्म सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा दोहरी प्रति मे भरा जाए और जो प्रति उनके कार्यालय को दी जाए इसके बारे मे वांछित जांच करने के पश्चात पूर्ण रूप से रिपोर्ट राज्य सरकार को आगामी कार्यवाही हेतु भेजी जाए, यह भी सुनिश्चित कर ले कि हर फार्म के साथ सम्बन्धित खजाना अधिकारी द्वारा की गई केन्द्रीय पेंशन की अंतिम अदायगी का प्रमाण पत्र लगा हो।

हस्ता/-
अवर सचिव, प्रोटोकोल,
कृते : वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह एवं प्रोटोकोल विभाग।

स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना

आवेदन फार्म

(रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा दो प्रतियों में भेजे जायेंगे—एक प्रतिलिपि संबन्धित राज्य सरकार को तथा एक प्रतिलिपि उप सचिव, भारत सरकार, गृह मन्त्रालय, स्वतन्त्रता सैनानी प्रभाग प्रथम तल, लोक नायक भवन, नई दिल्ली को भेजी जायेगी)

अगर आपने पहले भी केन्द्रीय सरकार को स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन हेतु आवेदन किया है तो गृह मंत्रालय के पत्र की संख्या व दिनांक का हवाला दें।	स्वतन्त्रता सेनानी/विधवा के पासपोर्ट साईज के फोटोग्राफ के लिए स्थान

भाग--1

वैयक्तिक विवरण

1. आवेदक का नाम .....

2. पता .....

3. आवेदक की आयु .....

4. स्वतन्त्रता सेनानी का नाम
(यदि आवेदक आश्रित है) .....

5. स्वतन्त्रता सेनानी का पता .....

6. आवेदक का स्वतन्त्रता सेनानी के साथ सम्बन्ध .....

7. राष्ट्रीयता .....

8. व्यवसाय .....

9. आश्रित परिवार के सदस्यों के नाम, उनकी आयु तथा आवेदक के साथ उनके संबंध- परिवार में माता-पिता, विधुर, विधवा (यदि उसने पुनर्विवाह नहीं किया है) तथा अविवाहित लड़कियां शामिल हैं --

	नाम	आयु	संबंध
(1)			
(2)			
(3)			
(4)			

10. क्या वह राज्य योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार से पेंशन प्राप्त कर रही /रहा है, यदि हां, तो राशि —

*भाग-2

स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान भोगी गई यातनाओं के विवरण

11. (i) सजा

(क) उस मामले के विवरण जिसमे मुकदमा चलाया गया और सजा दी गई ----

(ख) उस न्यायालय का नाम तथा स्थान जिसमे मुकदमा चलाया गया तथा सजा दी गई ----

(ग) दी गई सजा -----

(घ) भोगी गई सजा की वास्तविक

अवधि से तक

(ङ) साक्ष्य

(1) न्यायालय का निर्णय

(2) जेल प्रमाण-पत्र

(3) सहबन्दी प्रमाण-पत्र (यह निर्धारित प्रपत्र मे होना चाहिए जो अनुलग्नक-1 पर है) :—

(ii) भूमिगत

(iii) देश निकाला

(iv) नजरबन्दी

(क) प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के प्रकार आंशिक अथवा पूर्ण अर्थात् कोर्ट के रिकार्ड गिरफ्तारी के वारन्ट,भगौड़े के रूप मे घोषणा इत्यादि —

(ख) नजरबन्दी आदेश, आदेशों की तारीख, समाप्त होने की तारीख —

(ग) देश-निकाले के आदेश, आदेशो की तारीख, समाप्त होने की तारीख —

*(यदि प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानियों के प्रमाण-पत्रों द्वारा समर्पित यातना (ii), (iii) अथवा (iv) के आंशिक अथवा पूर्ण साक्ष्य सरकारी रिकार्डों में उपलब्ध नहीं हैं तो प्रमाण-पत्र देने वाले का नाम, वह राज्य जिससे वह सम्बन्धित है, उनके द्वारा भोगी गई जेल यातनाओं के विवरण दें।

(v) नौकरी/आजीविका के साधनों की हानि

प्रस्तुत किए गये साक्ष्य के प्रकार :—

(i) बरखास्त करने के पक्ष में सरकारी रिकार्ड।

(ii) क्या स्वतन्त्रता के पश्चात् पुन: नौकरी दी गई, स्वतन्त्रता पश्चात् सेवा के विवरण

टिप्पणी :— नौकरी का तात्पर्य सरकारी अथवा स्थानीय निकायों की नौकरी से है जैसा कि जिला बोर्ड और नगरपालिका।

(vi) सम्पत्ति जब्ती की हानि

(i) सरकारी रिकार्डों के साक्ष्य द्वारा समर्थित विवरण

(ii) क्या स्वतन्त्रता के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा कोई प्रतिपूर्ति दी गई थी।

(vii) स्थाई रूप से विकलांग

प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य के प्रकार :—

(क) जिला मजिस्ट्रेट से इस आशय का प्रमाण-पत्र कि स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने के दौरान लगी गोली की मार/लाठी चार्ज से स्थायी रूप से विकलांग किया गया।

(ख) विकलांगता के पक्ष में सिविल सर्जन से चिकित्सा प्रमाण-पत्र।

(viii) शहादत

(i) रिकार्डों से पुलिस द्वारा गोलीबारी में मारे जाने के समर्थन या आई०एन०ए० बारे में लड़ाई के मैदान में लड़ते हुए मारे जाने के समर्थन में साक्ष्य।

(12) केवल भूतपूर्व आई०एन०ए० कार्मिकों के मामले में :—

(i) क्या मिलिटरी वर्ग का है अथवा सिविलियन वर्ग का, यदि मिलिटरी वर्ग का है तो अपेक्षित साक्ष्य के प्रकार :—

(क) सेवामुक्ति प्रमाण-पत्र।

(ख) ब्लैक या ग्रे कौन से वर्ग में वर्गीकृत किया गया।

(ग) जब्त किए गए वेतन और भत्तों को बताने वाला रिकार्ड आफिस का पत्र।

(ii) यदि असैनिक है —

(क) किसी स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन प्राप्त करने वाले से शपथ-पत्र के रूप में सहबन्दी प्रमाण-पत्र

(ख) नूयमेंट आर्डर

(13) और कोई संबन्धित सूचना जिसे आवेदक देना चाहे।

(14) क्या आवेदक अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति का सदस्य है (जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र संलग्न होना चाहिए)

स्थान ----------

तिथि ----------

आवेदक के हस्ताक्षर

शपथ-पत्र

मैं, ---------- पुत्र श्री ----------

आयु ---------- व्यवसाय ----------

निवासी ----------

एतद्द्वारा शपथपूर्वक बयान करता हूं कि जो कुछ आवेदन-पत्र के कालम 1 से 14 तक दिया गया है वह मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के आधार पर सत्य है और मेरे द्वारा सरकार से पेंशन या लाभ प्राप्त करने के लिये कोई झूठी सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए है।

शपथकर्ता

शपथपूर्वक घोषित ----------

आज दिनांक ----------

और मेरी उपस्थिति में उसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

मेरे समक्ष

न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी

विशेष सूचना :- —

(1) आवेदन-पत्र में दिए गए ब्यौरे शपथ-पत्र से समर्पित होने चाहिएं।

(2) प्रस्तुत किए गए प्रमाण-पत्रों की प्रतियां सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित होनी चाहिएं। जब कभी मांगी जाए तब इन दस्तावेजों की मूल प्रतियां प्रस्तुत की जाएं।

(3) केवल उन्हीं आवेदन-पत्रों को स्वीकार किया जाएगा जो सभी दृष्टि से पूरे होंगे और जिनके साथ शपथ-पत्र तथा जेल के और अन्य निर्धारित प्रमाण-पत्र लगे होंगे।

(4) आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि ---------- होगी।

(5) दिए गए स्थान पर आवेदक के पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ की एक अधिप्रमाणित प्रति चिपकाई जानी चाहिए।

अनुलग्न-1

सहबन्दी प्रमाण-पत्र

(वर्तमान संसद सदस्य/विधायक या भूतपूर्व संसद सदस्य/विधायक द्वारा हस्ताक्षरित)

* * *
मैं -- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री --

* *
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश -- के ------------------------------------

क्षेत्र से --

लोकसभा/राज्य सभा वर्तमान सदस्य

--------------------- का ---------------------- हूं

विधान सभा/परिषद् भूतपूर्व सदस्य

मैं स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान -- जेल, जिला ------------------------------- मे दिनांक -- से -- तक बंदी था/थी।

* * * * *
मैं यह प्रमाणित करता/करती हू कि श्री/श्रीमती/कुमारी --- ,

* * *
------------------------------------पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ---

जो कि जिला -- के निवासी हैं, वास्तविक स्वतन्त्रता सेनानी हैं, और इनको -- आन्दोलन में भाग लेने के कारण उसी जेल में मेरे साथ दिनांक --- से ----------------------------------- तक रखा गया था।

* * *
जहां तक मुझे विश्वास है कि श्री/श्रीमती/कुमारी --- ------------------------------ को सजा भुगतने के पूर्व इनके द्वारा लिखित या मौखिक रूप से माफी मांगने पर जेल से नहीं छोड़ा गया था।

दिनांक (स्थान)
दिन

हस्ताक्षर ---------------------------
नाम (बड़े शब्दों में)
प्रमाणितकर्ता के

कृपया जो लागू न हो, उन्हें काट दें।